निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–15/22
दायरा दिनांक :–8.03.22
निर्णय दिनांक :– 15.12.22

उनवान

धनराज पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण जाति किराड निवासी बडा तहसील बारां जिला बारां
–प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश मीणा पुत्र गोपीलाल मीणा जाति मीणा निवासी मेलखेडी हाल निवासी कॉलेज रोड राजश्री इन्टरप्राइजेज के सामने बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां –अप्रार्थीगण

प्रर्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 15.12.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री रितेश भारद्वाज एड0– वादी
2. श्री महेश गौतम एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां में खसरा नं0 1486/247 की 0.48 हे0 भूमि मालखेडी गांव में स्थित है। जिसे प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2016 को पूर्व खातेदार श्रीमति कलावती पुत्री भरोसी बेवा एवं श्रीमति रूकमणीबाई पुत्र भरोसीबाई से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। तब से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त होकर पांतिकाश्त के जर्ये अपनी आजिविका का निर्वहन करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी कैलाश मीणा द्वारा सन् 2017 में प्रथम बार जबरन ट्रेक्टर चलाकर आराजी को हांकने का प्रयत्न करते हुये अवैधानिक रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली बारां में प्रार्थी द्वारा कराई गई परन्तु कोतवाली द्वारा उक्त रिपोर्ट दर्ज न कर मात्र कैलाश मीणा को थाने में बुलाकर समझाईश कर मामला रफादफा कर दिया गया तब से प्रार्थी उक्त आराजी पर शांति पूर्वक पांतिकाश्त कर रहा था परन्तु दिनांक 20.05.2019 को जब प्रार्थी अपने पांतिकाश्त भूपेन्द्रसिंह एवं मदनलाल के साथ आराजी पर गया तो दिन के करीब 12

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

बजे कैलाश मीणा अन्य 5–6 साथियों के साथ उक्त आराजी पर आये और प्रार्थी को धमकाकर जबरन आराजी पर कब्जा करने के उद्धेश्य से आराजी को हांकने पर आमादा हो गया। प्रार्थी एवं उसके पांतिकाश्त भूपेन्द्रसिंह एवं मदनलाल द्वारा अप्रार्थी को रोकने पर अप्रार्थी अपने साथियों के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गया आस पास के लोगों द्वारा बीच बचाव करने पर अप्रार्थी आराजी पर जबरन कब्जा करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने की एलानियां धमकी देकर साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर चला गया। प्रार्थी बमुश्किल अप्रार्थी एवं उसके साथियों के चुंगल से निकलकर जब कोतवाली में उक्त घटना की रिपोर्ट हेतु गया तो पुलिस द्वारा मामला काश्तकारी की जमीन का होना बताकर राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देने पर रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया।

प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली बारां में दर्ज नहीं किये जाने पर उक्त कार्यवाही के लिए एक प्रार्थना पत्र पांतिकाश्त धनराज द्वारा दिनांक 24.05.2019 को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को जर्ये डाक प्रस्तुत किया गया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उक्त आराजी आबादी क्षेत्र के करीब होने से आराजी के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण अप्रार्थी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर हडप कर जाना चाहता है जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा नहींकरने एवं उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण करने से पाबन्द करने हेतु प्रस्तुत है। दौराने वाद यदि अप्रार्थी उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा कर ले अथवा अप्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा पाया जावे तो विकल्प में अप्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने हेतु भी बेदखली का यह वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस आधारो पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी उक्त आराजी पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर उसमें प्लांनिंग काटकर बेचान करने में सफल हो गया तो प्रार्थी को भारी अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किसी प्रकार से संभव नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मालखेडी सम्वत् 2071–74 खाता सं0 407 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मेलखेडी तहसील बारां में स्थित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

2016 को खातेदार कलावती, रूकमणीबाई पुत्री मरोसीबाई से जर्ये रजि0 विक्रय पत्र क्रय की थी। तब से ही प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर काश्त करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को पांति काश्त पर भूपेन्द्रसिंह एवं मदनलाल द्वारा काश्त करने पर दी गई। परन्तु अप्रार्थी ने भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। विवादित भूमि आबादी के पास है जिसमें प्लानिंग कर भू–खण्ड बेचान करना चाहता है। अप्रार्थी द्वारा दौरान दावा यदि भूमि पर कब्जा कर लिया तो उसे बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि इस प्रकार के 2 फैसले पूर्व में हो चुके है। विवादित आराजी गंगाबाई पत्नी गोरीलाल हि0 1/2 मरोसी पुत्री गोरीलाल हिस्सा 1/2 दर्ज थी। गंगाबाई ने अपना 1/2 हिस्सा देवकरण को रजिस्टर्ड दान पत्र करवाया गया जिसका नामा0 सं0 11 दर्ज किया गया। दान पत्र से पूर्व मरोसीबाई का देहान्त हो गया था। सम्पूर्ण आराजी देवकरण के खाते दर्ज हुई। अप्रार्थी द्वारा देवकरण से उक्त आराजी 61300/– में कय की गई। जिसका इकरार नामा रूबरू गवाहन नोटेरी प्रमाणित करवाई गई। तभी से अप्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी तहसील बारां सम्वत् 2071–74 खाता सं0 407 के अनुसार धनराज पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे अप्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में होना साबित हो सके। अप्रार्थी अपना कब्जा व खातेदारी साबित करने में विफल रहे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम मेलखेडी तहसील बारां के खसरा नं0 1486/247

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रकबा 0.48 हे0 भूमि पर किसी प्रकार की भूमि पर किसी प्रकार की मदालखत, मनाहमत न तो स्वयं करे ओर न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांश शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner